

न्यायालय उपखण्ड, अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापूर सिटी  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) कैम्प टोकसी

—:आदेश:—

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी टोकसी भू.अ.नि गंगापूर की रिपोर्ट तथा तहसीलदार गंगापूर सिटी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम टोकसी तहसील गंगापूर सिटी व जिला सवाई माधोपुर की जमाबन्दी सम्बत 2071-74 में खाता संख्या 242, 124, 441 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

| कं.सं. | ग्राम | खाता संख्या      | वर्तमान प्रविष्टि<br>(अशुद्ध प्रविष्टि)              | आदेश<br>(शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व<br>रिकोर्ड में दर्ज की जानी है) |
|--------|-------|------------------|--|--|
| 1      | टोकसी | 242, 124,<br>441 | भरतलाल पुत्र रेवडया<br>शेष प्रविष्टिया पूर्ववत रहेगी | भगताराम पुत्र रेवडया<br>शेष प्रविष्टिया पूर्ववत रहेगी              |

मु.सं. 65  
2018

(बाबूलाल जाट)  
पीठासीन अधिकारी  
लोक अदालत  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहा.कलेक्टर गंगापूर सिटी  
दिनांक:- 30 मई 2018

क्रमांक:- 182-183

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार गंगापूर सिटी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. रक्षित पत्रावली।

(बाबूलाल जाट)  
पीठासीन अधिकारी  
लोक अदालत  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहा.कलेक्टर गंगापूर सिटी

मे  
ब  
रि.पे.  
रि.पे.  
पाल